



Neutral Citation No. - 2026:AHC:58246

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 7571 वर्ष 2026

इमरान

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: अल्पाना सिंघा, मनीष कुमार कश्यप, वीरेंद्र पाल सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री विजेंद्र कुमार और राज्य-प्रतिवादी के विद्वान एजीए की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

यह जमानत याचिका आवेदक की ओर से दायर की गई है, जिसमें उनसे अनुरोध किया गया है कि उन्हें मुकदमा अपराध संख्या 27/2026, धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 के तहत, पुलिस स्टेशन पटियाली, जिला कासगंज में दर्ज मामले में मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा किया जाए।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे किसी गुप्त इरादे से इस मामले में झूठा फंसाया गया है। गिरफ्तारी याचिका के समर्थन में दायर हलफनामे में गिरह-सूची में उल्लिखित आपराधिक इतिहास का स्पष्टीकरण दिया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि गिरफ्तारी में उल्लिखित सभी मामलों में आवेदक को पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है।

आगे यह निवेदन किया जाता है कि आवेदक किसी गिरह का सदस्य, नेता या आयोजक नहीं है और उसने अधिनियम की धारा 2 के खंड (ख) में वर्णित किसी गिरह की गतिविधियों में न तो सहायता की है और न ही उकसाया है। आवेदक का उपर्युक्त मामले के अतिरिक्त कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आगे यह निवेदन किया जाता है कि आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से भागने या गवाहों को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक, जो 07.01.2026 से जेल में बंद है, वचन देता है कि यदि उसे स्वतंत्रता दी जाती है तो वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में मामलों की भारी संख्या में लंबितता के कारण, मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने **प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, 2020 (11) एससीसी 648** के मामले में दिए गए एक निर्णय पर भरोसा जताया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि किसी आरोपी के खिलाफ कई आपराधिक मामलों का लंबित होना स्वयं जमानत से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. आवेदक की जमानत याचिका का विरोध नहीं कर सके और न ही आवेदक के खिलाफ कोई अन्य मामला बता सके, सिवाय उस मामले के जो आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तैयार किए गए गैंग-चार्ट में दर्शाया गया है।

सभी तथ्यों, मामले की प्रकृति और अभिलेख से प्राप्त साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, और अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, और मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत के लिए उपयुक्त मामला पाता हूँ। अतः, वर्तमान जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

आवेदक **इमरान** को उपरोक्त मामले में मुकदमा अपराध संख्या के आधार पर, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और इतनी ही राशि के दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए।

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी ऐसे व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जो मामले के तथ्यों से परिचित हो, ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव/धमकी नहीं देगा।

(iii) आवेदक मामले की सुनवाई शुरू होने, आरोप तय होने और बयान दर्ज होने की तारीखों पर व्यक्तिगत रूप से अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

(iv) आवेदक इस आशय का वचन पत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा जब गवाह अवर न्यायालय में उपस्थित हों।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(v) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत याचिका के निर्धारण के उद्देश्य तक ही सीमित है और इसे किसी भी तरह से मामले की खूबियों पर टिप्पणी के रूप में नहीं माना जाएगा। अवर न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए, प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगी।

20 मार्च, 2026

पीकेएस

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”